एफ. ओ. आई.

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या

दिनांक सन्

चूंकि विज्ञप्ति संख्या ७(१८) रेवे० क० ६५ दिनांक १-२-६५ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों, निपटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः उक्त एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक से प्रभाव रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है जो कि इस प्रावधान के अधीन है कि निचे लिखे गाव अधिकारो की संक्षिप्त सूचि(१) मे उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे और संक्षिप्त सूचि(२) मे उल्लेखित सीमा तक ऐसे मोसमा मे उक्त वन के ऐसे भागो मे तथा ऐसे नियमो के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी हो रियायतो का उपभोग करेंगे.

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खंड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खंड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
सिरोही	आबूरोड	भसारिंग	सियावा	१५८१.६०	सीमारेखा विवरण परिशिष्ट(अ) संलग्न है
			चन्द्रावती	६७४.२२	
			आम्बा	३००.६६	
			भारा	१६११.५०	
			भसारिंग	३४३८.२०	
				७६१४.२८ एकड़	

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
उदयपुर

(सुमन सिंह)
उप वन संरक्षक
सिरोही

परतानी